बिहार सरकार

परिवहन विभाग

संख्या–05 / स्था0 (आरोप) 01 / 2016 परि0 पटना, दिनांक

आदेश

विभागीय आदेश संख्या–5397 दिनांक–06.09.2016 द्वारा श्री विनोद कुमार, तत्कालीन मोटर यान निरीक्षक, भोजपुर (आरा) अतिरिक्त प्रभार मोटर यान निरीक्षक, अरवल को उनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के लिए निलंबित किया गया था। उनके द्वारा निलंबन से मुक्त किये जाने के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदन पर विचारोपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(3)(7) के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है।

2. श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई का संचालन अलग से किया जाएगा।

3. श्री कुमार की निलंबन अवधि के संबंध में निर्णय उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के निष्पादन के उपरांत किया जाएगा।

ह0 / –

राज्य परिवहन आयुक्त

बिहार, पटना।

ई–मेल / निबंधित

ज्ञापांक–05 / स्था0 (आरोप) 01 / 2016 परि0 2397 पटना, दिनांक 2-8/5/17

प्रतिलिपिः–जिला पदाधिकारी, भोजपुर(आरा) / अरवल / जिला परिवहन पदाधिकारी, भोजपुर(आरा) / अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, अरवल / जिला कोषागार पदाधिकारी, भोजपुर(आरा) / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार (विश्वेश्वरैया भवन), पटना / संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना / माननीय मंत्री, परिवहन विभाग के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, परिवहन विभाग के प्रधान आप्त सचिव / राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के आप्त सचिव तथा श्री विनोद कुमार, मोटर यान निरीक्षक (निलंबित–निलंबन अवधि का मुख्यालय–परिवहन विभाग, बिहार, पटना) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राज्य परिवहन आयुक्त

बिहार, पटना।